अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मुंगेर द्वारा दिनांक 16.06.2014 को अपराह्न 04:15 बजे प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, बरियारपुर का किये गये औचक निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी :-

1. उपस्थिति :-

निरीक्षण के दौरान उपस्थिति की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अंचलाधिकारी, बरियारपुर, दिनांक 15.06.2014 से 22.06.2014 तक अवकाश में हैं। इसके अतिरिक्त अंचल कार्यालय के अन्य कर्मी श्री प्रवीन कुमार मिश्रा आकस्मिक अवकाश का आवेदन देकर अवकाश पर हैं। अन्य कर्मी उपस्थित पाये गये।

2. **आर0टी0पी0एस0**- आर0टी0पी0एस0 कॉउन्टर पर एक आई0टी0 असिस्टेंट तथा तीन कार्यपालक सहायक उपस्थित पाये गये। समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं की विवरणी का दीवार लेखन खराब हो चुका है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर शीघ्र उक्त से संबंधित दीवार लेखन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त लोक सेवा का अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रतीक्षा स्थल पर आवेदकों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। विभागीय निदेश के अनुरूप अंचलाधिकारी, बरियारपुर काउण्टर के पास प्रतीक्षा स्थल पर आवेदकों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आर0टी0पी0एस0 के अन्तर्गत दिए जाने वाले सेवाओं की समीक्षा की गई। पाया गया कि तत्काल सेवा के अन्तर्गत प्राप्त 708 आवेदनों में 707 का निष्पादन कर दिया गया है। केवल 01 आवेदन लंबित है और वह भी समय सीमा के अन्दर है, परन्तु आर0टी0पी0एस0 के अन्तर्गत प्राप्त अन्य आवेदनों के निष्पादन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं पाई गई। कुल 150 आवेदन समय सीमा पार (Expired) पाए गए। इनमें भी कई आवेदन महीनों से लंबित हैं, विशेषकर पेंशन से संबंधित आवेदन 41 दिन से लेकर 126 दिन से विलम्बित है। कुल 150 expired आवेदनों में से 99 आवेदन सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर-सह-अपीलीय प्राधिकार, सामाजिक सुरक्षा को निदेश दिया जाता है कि suo-moto अपील दायर करते हुए नियमानुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर पर सेवा में त्रुटि के लिए दण्ड अधिरोपित करते हुए कार्रवाई सुनिचित करेंगे।

अंचल अन्तर्गत दाखिल-खारिज के expired कुल 23 आवेदनों में 11 आवेदन समय सीमा के एक सप्ताह से अधिक अवधि से विलंबित है। इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र के 14 में से 04 आवेदन, आय प्रमाण के 04 में से 02 एवं आवास प्रमाण में 05 में से 02 आवेदन समय सीमा के एक सप्ताह से अधिक अवधि से विलंबित है, जो खेदपूर्ण है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर-सह-अपीलीय प्राधिकार suo-moto अपील दायर करते हुए नियमानुसार दण्ड अधिरोपित कर कार्रवाई करेंगे।

दाखिल-खारिज के कुल निष्पादित 6207 आवेदनों में से 1495 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है, जो कुल निष्पादित आवेदन का 24.09% होता है। यह संख्या काफी अधिक है। आर0टी0पी0एस0 में प्राप्त आवेदन की सामान्य अस्वीकृति दर 2% से अधिक होने पर सरकार द्वारा इसकी गहन जाँच करने का निदेश है। लगभग एक-चौथाई आवेदनों की अस्वीकृति संदेह उत्पन्न करता है। इनमें से भी 1052 आवेदन समय सीमा पार (expired) करने के पश्चात् अस्वीकृत किए गए हैं, जो आपत्तिजनक है। श्री जैनेन्द्र कमार, निदेशक, लेखा-सह-वरीय पदाधिकारी, प्रखंड-सह-अंचल, बरियापुर उपरोक्त की सूक्ष्मतापूर्वक जाँच करते हुए एक पक्ष के अन्दर अपना प्रतिवेदन मन्तव्य सहित उपलब्ध कराएँगे।

(अनुपालन-अनुमंडल पदा0, सदर/भूमि सुधार उपमसाहर्त्ता, सदर/श्री जैनेन्द्र कुमार, निदेशक, लेखा-सह-वरीय पदाधिकारी, प्रखंड-सह-अंचल, बरियापुर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर/अंचलाधिकारी, बरियारपुर)

3. **रोकड़ पंजी :-** रोकड़ पंजी के अवलोकन के क्रम में यह घोर आपत्तिजनक तथ्य प्रकाश में आया कि पैक्स के खाते में 10,10,416/- (दस लाख दस हजार चार सौ सोलह) रू0 जमा है, जबकि सरकार स्तर से पैक्स में सरकारी राशि के जमा की सख्त रोक है।

Unposted Voucher के रूप में 31,98,500/-(एकतीस लाख अन्ठानवे हजार पांच सौ) रू0 तथा Temporary Advance के रूप में 75,26,707/- (पचहत्तर लाख छब्बीस हजार सात सौ सात) रू0 दर्शाया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। उक्त मद में इतनी अधिक राशि का होना अकुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। Unposted Voucher के रूप में इतनी बड़ी राशि का होना निधि के विचलन को प्रदर्शित करता है। Temporary Advance के संबंध में बताया गया कि इनमें से अधिकांश राशि पेंशन मद की है, जो वितरण के लिए पंचायत सचिव को अग्रिम के रूप में दी गई थी। बताया गया कि पेंशन का वितरण लगभग पूरा हो चुका है तथा शीघ्र ही उक्त राशि को समायोजित कर लिया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर को निदेश दिया गया कि दिनांक 30.06.2014 तक उक्त का अनुपालन करते हुए वरीय पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदित करेंगे।

सामान्य रोकड़ पंजी के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि 13वें वित्त की 67,79073/- रू0, बी0आर0जी0एफ0 का 1504712/- रू0, पेंशन मद का 8150650/- रू0, चतुर्थ वित्त का 808200/-रू0 तथा कन्या विवाह योजना का 1460979/-रू0 अवशेष है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि सरकारी योजनाओं की राशि का व्यय समयानुसार विकास कार्यों में नहीं किया गया है। 13वें वित्त की राशि तो कई वर्षो से रोकड़ पंजी में पड़ी हुई है। प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी रोकड़ पंजी से संबंधित सभी बिन्दुओं की सूक्ष्मतापूर्वक जाँच कर समन्तव्य अपना जाँच प्रतिवेदन एक पक्ष में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-श्री जैनेन्द्र कुमार, निदेशक, लेखा-सह-वरीय पदाधिकारी, प्रखंड-सह-अंचल, बरियापुर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर)

4. **जेनरेटर :-** निरीक्षण के समय जेनरेटर चलता हुआ पाया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर द्वारा बताया गया कि जेनरेटर प्रखंड का है, जिसमें ईधन की आपूर्त्ति आर0टी0पी0एस0 मद से की जाती है। जेनरेटर की लॉगबुक की मांग करने पर बताया गया कि लॉगबुक संधारित नहीं है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है। प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी उक्त के संबंध में जाँच कर अपना प्रतिवेदन समन्तव्य समर्पित करेंगे।

(अनुपालन-श्री जैनेन्द्र कुमार, निदेशक, लेखा-सह-वरीय पदाधिकारी, प्रखंड-सह-अंचल, बरियापुर)

5. **इंदिरा आवास योजना :-** वित्तीय वर्ष 2013-14 के इंदिरा आवास से संबंधित पंचायत बरियारपुर, बरियारपुर उत्तर एवं बरियारपुर दक्षिण के अभिलेखों/कागजातों/पंजियों का अवलोकन किया गया, जिससे परिलक्षित होता है कि पूरी इंदिरा आवास योजना मात्र एक संविदा कर्मी, अर्थात् विकास मित्र के भरोसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इंदिरा आवास के लाभार्थियों की बी0पी0एल0 सूची से short listing/योग्य लाभार्थियों की सूची तैयार करना तथा जाँचोपरान्त लाभार्थियों की अंतिम सूची, जिसके आधार पर चेक काटा गया, को विकास मित्र के द्वारा ही तैयार किया गया है। इस पर किसी अन्य पदाधिकारी/पर्यवेक्षक अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है।

AWAS Soft में लक्ष्य के विरूद्ध डेढ़ गुणा व्यक्तियों के नामों के इन्ट्री के पश्चात् अंतिम रूप से चयनित लाभुकों का order sheet भी विकास मित्र के द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिवेदन के आधार पर generate किया गया है।

पूरी प्रक्रिया में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मात्र चेक निर्गत के दौरान संबंधित चेक निर्गत पंजी एवं चेक बुक पर हस्ताक्षर किया गया है तथा किसी भी संचिका/अभिलेख/पंजी में लाभार्थी को इंदिरा आवास की स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नहीं दी गई है। निरीक्षण के दौरान स्वयं प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही शोचनीय एवं हास्यास्पद है।

स्पष्ट है कि सरकार की इतनी महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना मात्र विकास मित्र के भरोसे संचालित की जा रही है। विकास मित्र द्वारा बनाई गई सूची में बीच में प्रतीक्षा सूची के क्रम को तोड़ा भी गया है तथा इच्छानुसार पूर्व के क्रमांक के लाभार्थियों को सम्मिलित भी किया गया है। पृच्छा करने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त के संबंध में सम्यक जाँच कर एक पक्ष के अन्दर समन्तव्य प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–श्री जैनेन्द्र कुमार, निदेशक, लेखा–सह–वरीय पदाधिकारी, प्रखंड–सह–अंचल, बरियापुर)

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 1592 /गो0, दिनांक 16-06-14

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/श्री जैनेन्द्र कुमार, निदेशक, लेखा–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बरियारपुर प्रखंड–सह–अंचल/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियापुर/अंचलाधिकारी, बरियापुर/ आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.6.14

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।